

**राज्य प्रशासन में राज्यपाल की स्थिति, शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना करें। उसका निर्वाचन न होकर मनोनयन क्यों होता है?**

(Discuss the position, powers and functions of the Governor in the administration of the state. Why is he appointed and not elected?)

अथवा

**किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? इनकी भूमिका एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिये।**

(How Governor is appointed in a state? Examine the rule and powers of the governor.)

Arun kumar

HOD, Political science, Saria College, Suriya

**उत्तर :** भारतीय संविधान द्वारा संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन की स्थापना की गयी है। संसदीय शासन के गुणों के अनुरूप संघ-शासन में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान तथा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् वास्तविक प्रधान है। राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है। राज्य प्रशासन में राज्यपाल का लगभग वही स्थान है जो संघ प्रशासन में राष्ट्रपति का। लेकिन वह राज्य में संवैधानिक प्रधान होने के अतिरिक्त राज्य में केन्द्र के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करता है।

**राज्यपाल की नियुक्ति:** राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए होती है। परन्तु राष्ट्रपति उस अवधि के बीच भी राज्यपाल को या तो पदच्युत कर सकता है अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है। राज्यपाल स्वयं भी त्याग-पत्र देकर हट सकता है। राष्ट्रपति पुराने राज्यपाल को दूसरी बार के लिए भी नियुक्त कर सकता है।

यद्यपि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, किन्तु उस नियुक्ति में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् की इच्छा ही बलवती होती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के तत्सम्बन्धित निर्णयों पर मात्र अपनी स्वीकृति देता है। राज्यपाल की नियुक्ति में सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जाती है। साथ ही साधारणतः किसी राज्य के निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। इस

अभिसमय के अब तक केवल तीन अपवाद रहे हैं। पश्चिम बंगाल, मैसूर तथा जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल क्रमशः श्री मुखर्जी, महाराजा जयचामराज वाडियार तथा डॉ. कर्ण सिंह उसी राज्य के निवासी थे।

### **राज्यपाल के अधिकार एवं कार्य (Powers and Functions):**

संवैधानिक तौर पर यद्यपि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है तथा राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ उसी में निहित हैं, किन्तु उसे इन शक्तियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। अध्ययन की सुविधा हेतु उसकी शक्तियों की निम्नांकित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

#### **कार्यपालिका संबंधी अधिकार:**

राज्यपाल को कार्यपालिका के क्षेत्र में -निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :

1. राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ इसी में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा ही करेगा। राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कार्य-सम्पादन का अधिकार राज्यपाल को है। वह भारत सरकार की सहमति से भारत सरकार या उसके अधिकारियों को कोई ऐसा कार्य भी सौंप सकता है जो राज्य की कार्यकारिणी शक्ति से संबंधित हो। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के प्रशासन में वह केन्द्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा।
2. राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन करता है तथा उसी की सलाह पर एक मंत्री या मंत्रियों को पदच्युत कर सकता है।
3. राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष तथा उच्च अधिकारियों को नियुक्त करता है।

4. राज्यपाल को राज्य-प्रशासन के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों की उसे सूचना दे। वह किसी मंत्री द्वारा लिये गये निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा समस्त मंत्रिमंडल के समक्ष निर्णय हेतु रखवा सकता है।

5 राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है वह केंद्र सरकार एवं राष्ट्रपति को राज्य की समस्याओं एवं गतिविधियों की सूचना देता है।

### **विधायिका सम्बन्धी अधिकार :**

राज्यपाल को निम्नलिखित विधायिका संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं।

1. राज्य-विधानमण्डल द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति न दे। वह धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक को या तो अस्वीकृत करके अथवा अपने सुझावों के साथ विधानमण्डल को लौटा सकता है। परन्तु यदि विधानमण्डल पुनः पारित कर उसे उसके पास भेजे तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करना होगा। वह कुछ विधेयकों का राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भी अपने पास रख सकता है। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में प्रस्तावित हो सकते हैं।

2. राज्यपाल को विधानमण्डल के दोनों सदनों को आमंत्रित करने, सत्रावसान करने या स्थगित करने का अधिकार है। आवश्यकता पड़ने पर वह विधानसभा को भंग भी कर सकता है।

3. वह आम चुनाव के बाद या प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के प्रारम्भ में विधानमण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या प्रत्येक सदन की अलग-अलग बैठकों में भाषण दे सकता है। उसे किसी भी सदन के पास विधायन सम्बन्धी संदेशों को भेजने का अधिकार है।

4. जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, उनमें विधानपरिषद् के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को है। यदि राज्यपाल की राय में ऐंग्लो-इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व विधान सभा में नहीं हुआ है, तो उसे उक्त समुदाय के प्रतिनिधियों को उचित संख्या में मनोनीत करने का अधिकार है।

5. विधानमण्डल के विरामकाल में आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकता है, जिसकी मान्यता कानून के समान ही होगी। अध्यादेश उन्हीं विषयों पर लागू होंगे जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। राज्यपाल अध्यादेशों के दूसरे आदेशों द्वारा रद्द भी कर सकता है।

6. जब तक विधानमण्डल के दोनों सदन अपना-अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं चुन लेते, राज्यपाल उन सदनों के लिये सामयिक अध्यक्षों को नियुक्त करता है।

### **वित्तीय अधिकार :**

(1) राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता। धन विधेयकों में संशोधन भी उसी की सिफारिशों से प्रस्तावित होंगे।

(2) राज्य के वार्षिक बजट को राज्यपाल की ओर से राज्य का वित्त मंत्री विधानसभा में प्रस्तावित करता है।

(3) सरकारी आय-व्यय या अनुदान की माँगें बिना राज्यपाल की सिफारिश के विधानसभा में पेश नहीं की जा सकती हैं।

(4) राज्य की आकस्मिक निधि उसके नाम से रहती है। वह उस निधि से सरकार को खर्च चलाने के लिये अग्रिम राशि दे सकता है।

### **न्यायिक अधिकार :**

**राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं**

अपराधों के लिये किसी व्यक्ति के दंड को कम करने, स्थगित करने या पूर्णरूपेण क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को है। इसी आधार पर श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ने नानावती के आजीवन कारावास के दंड को समाप्त कर दिया था। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता।

### **अन्यान्य अधिकार :**

राज्यपाल सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करता है। वह महत्वपूर्ण अवसरों पर उपर्युक्त संस्थाओं का उद्घाटन एवं सभापतित्व कर लोगों को सार्वजनिक कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। इसके अतिरिक्त असम का राज्यपाल जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अभिर्कर्ता के रूप में करता है। आंध्र तथा पंजाब में विधानसभा की क्षेत्रीय समितियों के कार्य-सम्पादन की देख-रेख का उत्तरदायित्व वहाँ के राज्यपाल पर ही है।

**राज्यपाल की वास्तविक स्थिति:** राज्यपाल के अधिकारों एवं कृत्यों के उपर्युक्त कार्यों का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि वह राज्य में बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है तथा राज्य प्रशासन का केन्द्र-बिन्दु वही है। परन्तु वास्तविक स्थिति बिल्कुल ही भिन्न है। राज्यों में भी संसदीय पद्धति लागू किये जाने के कारण राज्यपाल का स्थान संवैधानिक प्रधान के रूप में रह जाता है तथा राज्य की वास्तविक शक्ति का उपभोग मंत्रिपरिषद् करती है। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा तो मंत्रिपरिषद् त्याग-पत्र देकर राज्यपाल को संकट में डाल देगा। हाल ही में बिहार के राज्यपाल श्री गोबिन्द ना. सिंह को मुख्यमंत्री से टकराव के कारण त्याग-पत्र देना पड़ा था।

मंत्रिपरिषद् के संगठन में भी राज्यपाल के अधिकार सीमित ही हैं। उसे विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्तियों में भी मुख्यमंत्री का परामर्श ही निर्णायक होगा। मंत्रियों के बीच विभागों का बँटवारा भी मुख्यमंत्री की इच्छा से ही होगा। यदि राज्यपाल इसके गठन में मनमाना करेगा तो वह राज्य में संवैधानिक संकट को निमंत्रण देगा। इस सम्बन्ध में वह स्वविवेक इस्तेमाल तभी कर सकता है, जबकि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकने की स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल के प्रभाव से हुआ हो।

संकट काल के समय राज्यपाल केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में शान कार्यों में एवं भूमिका निभाता है। राज्यपाल स्व विवेक शक्तियों का भी इस्तेमाल करता है।

अंत में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है इस तरह राज्य की राजनीतिक में राज्यपाल राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।